2022/412

फर्द अहकाम

चन्दा बनाम गोदूराम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 194/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	06/02/23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता राजेश शर्मा उपस्थित। अप्रार्थी सं 1 लगा. 6 के विरुद्ध मूलवाद में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर एक पक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं प्रार्थी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनने के पश्चात वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 80/4 रकबा 1.7703 हैक्टेयर स्थित ग्राम सवाई जयसिंहपुरा तह. तूंगा जिला जयपुर के संबंध में उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी का तार्फेसला वाद के उक्त वादग्रस्त आराजी पर उभयपक्ष मौके की यथास्थिति बनाये रखे एवं सीमाजोड़ में परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर